जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक 06.12.2024**

एसओजी/सर्विलांस टीम शामली व थाना कांधला की संयुक्त कार्यवाही में पंजाब राज्य में निर्मित अवैध शराब की 900 पेटी को उ0प्र0 मे बेचे जाने के मामले में वांछित 25,000/- रूपये का 01 इनामी अभियुक्त गिरफ्तार।

ज्ञात हो कि दिनांक 17.03.2020 को थाना कांधला पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक 10 टायरा ट्रक जिसमे पंजाब राज्य में निर्मित अवैध शराब की 900 पेटियो को तैयार करके अंबाला से उत्तर प्रदेश में बिक्री के लिए लायी जा रही थी। उक्त सूचना पर कांधला पुलिस द्वारा अवैध शराब की बरामदगी करते हुए 02 अभियुक्तों मौके से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त में जगतार काफी समय से वांछित चल रहा था। जिसके विरुद्ध माननीय न्यायालय से गैर जमानती वारंट निर्गत किये गये थे। फरार अभियुक्त को जगतार की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा 25000/-हजार रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। जिसकी गिरफ्तारी हेतु टीमों द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे थे।

इसी क्रम मे आज दिनांक 06.12.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/इनामी/फरार अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में एसओजी शामली व थाना कांधला पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में पंजाब राज्य में निर्मित अवैध शराब की 900 पेटी को उ0प्र0 मे बेचे जाने के मामले में वांछित 25,000/-रूपये के 01 इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.जगतार सिंह पुत्र वीर सिंह निवासी ग्राम डालो माजरा नवीपुरा थाना सरहिन्द जनपद फतेहगढ़ साहिब पंजाब।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0-146/2020 धारा 420/467/468/471 भादवि व 60/63/72 आबकारी अधिनियम थाना कांधला जनपद शामली।

2.मु0अ0स0-479/21 धारा 174ए भादवि थाना कांधला जनपद शामली।

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामदः-

आज दिनांक 06.12.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली शामली पुलिस को 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.विपिन पुत्र धर्मवीर निवासी ग्राम हसनपुर लिसाढ़ थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 01 तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

थाना कैराना पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो कि दिनांक 12.10.2024 को वादिया श्रीमती खुशनुमा पत्नी सादाब निवासी मौहल्ला आलदरम्यान थाना कैराना जनपद शामली के द्वारा अपने पति शादाब, जेठानी फरजाना व जेठ सरफराज के विरुद्ध गाली गलौच, मारपीट, व जानलेवा हमला कर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना कैराना पर लिखित तहरीर दाखिल की थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया था। थाना कैराना पुलिस द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्तगण की तलाश की जा रही थी।

इसी क्रम में आज दिनांक 06.12.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा गाली गलौच, मारपीट, व जानलेवा हमला कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गयी है, शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.सरफराज पुत्र रईस निवासी मौहल्ला इकबालपुरा थाना कैराना जनपद शामली।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 02 चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी नगदी व अवैध चाकू बरामदः-

आज दिनांक 06.12.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध वाहन/व्यक्ति की चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा चोरो को चोरी की गयी नगदी 5,200/- रुपये व 02 अवैध चाकू सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो दिनाँक 28/29.09.2024 की रात्रि में अज्ञात चोरो द्वारा देवस्थली विद्यापीठ ग्राम हथछोया थाना झिंझाना जनपद शामली से नगदी चोरी कर ली गयी थी घटना के सम्बन्ध में वादी श्री प्रेम सिंह दिलावरे पुत्र श्री फुल सिंह दिलावरे निवासी ग्राम हथछौया थाना झिंझाना जनपद शामली की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1-इकराम पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम टपराना थाना झिंझाना जनपद शामली।

2-जुल्फान पुत्र हासिम निवासी ग्राम टपराना थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.चोरी की गयी नगदी (5,200/- रुपये)।

2.दो अवैध चाकू।

<u>थाना झिंझाना पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 03 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

आज दिनांक 06.12.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 03 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.अंकित पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम नौनांगली थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.लोकेश पुत्र करणसिंह निवासी नौनांगली थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.सांवत उर्फ साहब सिंह पुत्र ओमप्रकाश निवासी पीपलहैडा थाना बाबरी जनपद शामली।

थाना कैराना पुलिस द्वारा चोरी के मामले में 04 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में, कब्जे से चोरी किया गया लेपटॉप, मोबाईल फोन व 54,000/- रुपये नगदी बरामदः-

ज्ञात हो कि दिनांक 05.12.2024 को थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत वादी श्री अली हसन पुत्र राशिद अब्बास निवासी मौहल्ला अंसारियान थाना कैराना जनपद शामली की मौहल्ला रेतेवाला स्थित दुकान से अज्ञात अभियुक्तों द्वारा लेपटॉप, मोबाईल व नगदी चोरी कर ली गयी थी। वादी श्री अली हसन उपरोक्त की तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 06.12.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे जा रहे संदिग्ध वाहन/व्यक्ति की चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा चोरी के मामले में 04 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लेने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है जिनके कब्जे से एक लेपटाप, एक मोबाईल फोन व 54,000/- रुपये नगदी बरामद हुई है। बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लेने व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरणः-

1.चोरी किया गया लेपटॉप।

2.चोरी किया गया मोबाईल फोन।

3.चोरी की गयी नगदी 54,000/- रुपये।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 05 अलग-अलग मामलों में 05 अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा एवं 24,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-

1. वर्ष 2020 में अभियुक्त सरफराज पुत्र इकबाल निवासी ग्राम लिलौन थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 498/2020 धारा 323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 06.12.2024 को माननीय न्यायालय एडीजे/एसपीएल पोक्सो कोर्ट कैराना,शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 323 भादवि में 01 वर्ष कारावास व 1,000/- रुपये अर्थदण्ड, धारा 504 भादवि में 02 वर्ष कारावास व 5,000/- रुपये अर्थदण्ड, धारा 506 भादवि में 02 वर्ष कारावास व 5,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2. वर्ष 1998 में अभियुक्त महताब पुत्र महमूद कुरैशी निवासी मौहल्ला काजीवाड़ा थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 269/1998 धारा 380/411 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 06.12.2024 को माननीय न्यायालय सीजेएसड़ी/एसीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गई अवधि की सजा व 4,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

3. वर्ष 2004 में अभियुक्त नवाब पुत्र रफीक निवासी मौहल्ला नौकुआं थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 104/2004 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 06.12.2024 को माननीय न्यायालय सीजेएसड़ी/एसीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गई अवधि की सजा व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

4. वर्ष 2003 में अभियुक्त तासिम पुत्र जिन्दा निवासी ग्राम खुरगान थाना कैराना शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 52/2003 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 06.12.2024 को माननीय न्यायालय सीजेएसड़ी/एसीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गई अवधि की सजा व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

5. वर्ष 2020 में अभियुक्त छोटन पुत्र महमूद निवासी हसन कालोनी आर्यपुरी थाना कैराना शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 52/2020 धारा 279/337/338/427 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 06.12.2024 को माननीय न्यायालय सीजेएसड़ी/एसीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तगणः-

1.सरफराज पुत्र इकबाल निवासी ग्राम लिलौन थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.महताब पुत्र महमूद कुरैशी निवासी मौहल्ला काजीवाड़ा थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

3.नवाब पुत्र रफीक निवासी मौहल्ला नौकुआं थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

4.तासिम पुत्र जिन्दा निवासी ग्राम खुरगान थाना कैराना शामली जनपद शामली।

5.छोटन पुत्र महमूद निवासी हसन कालोनी आर्यपुरी थाना कैराना शामली जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI